

प्रमाण,

शिव प्रकाश गुप्त,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार,  
नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 15 मई, 2004

विषय:- महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, बसुन्धरा सेक्टर-13 गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीसाघटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं ली जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से भ्रान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफिसेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 3090 मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो



- 5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भ्रमदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

पू0संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
  - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
  - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
  - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०लखनऊ ।
  - 5- प्रबंधक, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, वसुन्धरा सेक्टर-13, गाजियाबाद ।
  - 6- गार्ड बुक ।

For MAHARAJA AGARSAIN PUBLIC SCHOOL

Principal

Director



आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

8